राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

गृह (ग्रुप–7) विभाग

<u>अधिसूचना</u>

जयपुर, अक्टुबर 4, 1976

राजस्थान मोटर गाडी कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा चलाये जाने वाले अपंगार्थ वाहनों(Invalid Carriages) को एतद्द्वारा संदेय करों से छूट प्रदान करती है ।

(संख्या प. 11(11)गृह 17175)

राज्यपाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

जयपुर, अगस्त 27,1993

एस.ओ.96 :– राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) को धारा 88 की उप–धारा (12) के अधीन मंजूर किये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन राजस्थान राज्य में चलाने के लिय प्राधिकृत, अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले किन्ही भी सार्वजनिक वाहक माल यानों को उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित करे के संदाय से इसके द्वारा आंशिक रूप से छूट देती है और आदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धो के अधीन ऐसे प्रत्येक यान पर उसके रजिस्ट्रीकृत लदान सहित भार को विचार में लाये बिना प्रति वर्ष 5000/– रू. घटा हुआ कर प्रभारित किया जायेगा।
यह 1 सितम्बर, 1993 से प्रवृत्त होगी।

[संख्या एफ 10 (240)परि/पी.डी./91/पार्ट – III]

राज्यपाल के आदेश से,

डी के विजय,
उप शासन सचिव
।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

S.O.96 – In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act 11 of 1951), and in supersession of all previous notifications issued in this respect, the State Government hereby exempts partially from the payment of tax imposed by the said Act, any public carrier goods vehicles entering the territory of the State of Rajasthan from other States authorised to ply in the State of Rajasthan under a National Permit granted under sub-section (12)of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and orders that a reduced tax of Rs 5000/- per annum shall be charged on each such vehicle under the provisions of the said Act, irrespective of its registered laden weight.

It shall come into force with effect from 1st September, 1993

[No F 10 (240)Pari/P.D./91/Part-III]

By Order of the Governor,

डी.के.विजय,
Dy. Secretary to the
Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र. एफ 6 (96)कर/शैक्षिणक/89/ जयपुर, दिनांक :–24–10–98

–अधिसूचना–

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखतें हुये कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा राजस्थान राज्य के उस कर का परिहार इस शर्त के साथ की अनुबंधित वाहन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अस्थायी परमिट से कवर्ड होगी तथा बस की बैठक क्षमता से उपर ओवरलोडिंग कदापि न की जावेगी, करती है जो उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित सूची में अंकित विधालय के छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा सूची में अंकित शैक्षणिक भ्रमण के अवसर पर अनुबंधित की गयी निम्न एक बस द्वारा देय है ।

क्रमांक	**नाम विद्यालय**	**भ्रमण अवधि व वाहन संख्या**	**भ्रमण स्थल**
1	Shri R.P. Patel Gujrat Vidhyalaya Secondary School Adipur (Kutch)	27.10.98 से 29.10.98 तक GJ IV 2341	केशरियाजी उदयपुर, आबू रोड माऊन्ट आबू

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र. एफ 6 (96)कर/शैक्षिणक/89/ जयपुर, दिनांक :–28–10–98

–अधिसूचना–

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखतें हुये कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा राजस्थान राज्य के उस कर का परिहार इस शर्त के साथ की अनुबंधित वाहन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अस्थायी परमिट से कवर्ड होगी तथा बस की बैठक क्षमता से उपर ओवरलोडिंग कदापि न की जावेगी, करती है जो उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित सूची में अंकित विधालय के छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा सूची में अंकित शैक्षणिक भ्रमण के अवसर पर अनुबंधित की गयी निम्न एक बस द्वारा देय है ।

क्रमांक	**नाम विद्यालय**	**भ्रमण अवधि व वाहन संख्या**	**भ्रमण स्थल**
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोरी (शाहपुरा)	1–11–98 से 4–11–98 तक RSA 5911	जयपुर–अजमेर–पुष्कर कांकरोली–चारभुजा–नाथद्वारा–हल्दीघाटी–एकलिंगजी–उदयपुर–सांवलियाजी–चित्तौडगढ

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—एफ6 / 96 / परि / कर / मुक्त / उर्स / पार्ट फाईल / 99 जयपुर, दिनांकः— 30.3.99

अधिसूचना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद्द्वारा खालसा पंथ के त्रिशताब्दीय समारोह में द्वारका (गुजरात) से फतेह मार्च में सम्मिलित होने के लिये कीरतपुर साहिब (पंजाब) वाया माऊन्ट आबू—सिरोही—पाली—जोधपुर—नागौर—बीकानेर—सूरतगढ व गंगानगर, जाने वाले वाहनों का राजस्थान राज्य में दिनांक 4—4—99 से 7—4—99 की अवधि में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का परिहार करती है ।

राज्यपाल के आदेश से

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

एफ6 (89) परि / कर / चुनावकार्य / 98 जयपुर, दिनांकः— 22.7.99

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थन मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा लोकसभा चुनाव—1998 व राजस्थान विधानसभा चुनाव—1998 में चुनाव कार्यो के लिए अधिग्रहीत की गई तथा लोकसभा चुनाव—1999 में अधिग्रहित की जाने वाली मंजिली गाड़ियों (स्टैज कैरिज) जो केवल नगरीय सीमा के अलावा चलती है को उतने दिवस के लिये समानुपातिक आधार पर विशेष पथकर से मुक्त करती है, जितने दिवस के लिये उक्त चुनावों में उपयोग में ली गई अथवा ली जावेगी ।

राज्यपाल के आदेश से

उपशासन सचिव (मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र.प 6 (96) परि/कर/मुक्त/मु॰/97/पार्ट ।। जयपुर, दिनांक 4–10–99

<u>–अधिसूचना–</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखतें हुयें कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों पर दि. 11.10.99 से 20.10.99 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को जाने/आने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिए 3500 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.6(103)परि/कर/मु./पार्ट–।।   दिनांकः– 4–10–99

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है एतद् द्वारा संविदा वाहनों द्वारा माह जून 1990 में दिनांक 1 जून 1990 से 26 जून 1990 तक की अवधि का उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय विशेष पथकर के अन्तर का समानुपातिक आधार पर इस शर्त पर परिहार करती है, कि जमा कराया हुआ कर वापिस देय नहीं होगा ।

राज्यपाल के आदेश से
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र.प 6 (96) परि/कर/मुक्त/मु॰/97/पार्ट ।। जयपुर, दिनांक 4–10–99

<u>–अधिसूचना–</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखतें हुयें कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों पर दि. 11.10.99 से 20.10.99 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को जाने/आने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिए 3500 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :प.6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98/ जयपुर, दिनांक 8.5.2000

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका चुनाव 1999, पंचायत चुनाव 2000 एवं विधानसभा उप चुनाव 2000 में चुनाव कार्यो के लिए अधिग्रहीत की गई नगरीय सीमा में संचालित मंजिली यानों से भिन्न मंजिली गाडियों (स्टेज कैरिज) को उतने दिवस के लिए समानुपातिक आधार पर विशेष पथकर से मुक्त करती है जितने दिवस के लिए वे उक्त चुनावों में उपयोग में ली गयी है ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ.6(96)परि/कर/मुक्ति/मु./पार्ट–III   जयपुर, दिनांक 10.5.2000

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा अकाल राहत के लिए चारा परिवहन करने वाले अन्य राज्यों के ऐसे भार वाहनों के लिए जो चारा परिवहन करके राजस्थान राज्य में पहुँचा रहे हैं, दिनांक 31/7/2000 तक के लिए उन करों का परिहार करती है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ.6(96)परि/कर/मुक्ति/मु./पार्ट–III   जयपुर, दिनांक 10.5.2000

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा अकाल राहत के लिए चारा परिवहन करने वाले अन्य राज्यों के ऐसे भार वाहनों के लिए जो चारा परिवहन करके राजस्थान राज्य में पहुँचा रहे हैं, दिनांक 31/7/2000 तक के लिए उन करों का परिहार करती है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.6 (96)परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट ।। जयपुर, दिनांकः 15.09.2000

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखतें हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 23.9.2000 से 08.10.2000 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिए 4400 रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से
उप शासन सचिव (मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ.6(96)परि/कर/मुक्त/मु./पार्ट–III   जयपुर, दिनांक 30.03.2001

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, राजस्थान राज्य में पंजीकृत ऐसे सभी पानी के टैंकरों के लिए, जिनका प्रयोग जल वितरण के लिए राज्य में किया जा रहा हैं, दिनांक 31/7/2001 तक के लिए उन करों का परिहार, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है, इस शर्त के साथ करती है कि जिन वाहनों का अधिसूचना जारी होने से पूर्व उक्त देय कर जमा करा दिया गया है, उनका उक्त जमा कराया गया कर वापस नहीं किया जावेगा ।

राज्यपाल के आदेश से
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ.6(96)परि/कर/मुक्त/मु./पार्ट–III   जयपुर, दिनांक 30.03.2001

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा अकाल राहत के लिए चारा परिवहन करने वाले अन्य राज्यों के ऐसे भार वाहनों के लिए जो चारा परिवहन करके राजस्थान राज्य में पहुँचा रहे हैं, दिनांक 31/7/2001 तक के लिए उन करों का परिहार, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है, इस शर्त के साथ करती है कि जिन वाहनों का अधिसूचना के जारी होने से पूर्व उक्त देय कर जमा करा दिया गया है उनको उक्त जमा कराया गया कर वापिस नहीं किया जावेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—एफ6 / 96 / परि. / कर / मु. / ।   जयपुर, दिनांक —07.04.2001

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद् द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वाहन संख्या KL01 J-193 जिसका प्रयोग सॉगानेर स्थित जयपुर हवाई अड्डा में किया जाता है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया मात्र जयपुर हवाई अड्डा की परिधी में हवाई जहाजों में ईंधन भरने हेतु ही किया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6/96/परि/कर/मु/2001/ जयपुर, दिनांक– 9 जुलाई, 2001

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा इण्डियन ऑयल कम्पनी के रिफ्यूलर वाहन, जिसका चैसिस नंबर JBE-444397, ईजन नंबर JBE-327990 व पंजीयन संख्या RJ-19, 1G-1931 है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया केवल जोधपुर स्थित हवाई अड्डे की परिधि में हवाई जहाजों में ईधन भरने हेतु ही किया जावेगा ।

राज्यपाल के आज्ञा से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ.6 / 229 / परि / कर / मु॰ / ।   जयपुर, दिनांक 27.10.2001

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर की मोबाईल बस RJ.14 P-9100 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया राजस्था राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु किया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(96)परि/कर/मु॰/2001 जयपुर दिनांक :20.03.2002

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा स्टेशन कमाण्डर एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई, बाडमेर की बस (बैठक क्षमता 33 सीट) आर॰जे॰ 04 पी॰ 0212 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान को माह मार्च 1997 से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया केवल एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिजनों को लाने व ले जाने के कार्य में लिया जावेगा, तथा पूर्व में जमा कर एवं शास्ति का रिफण्ड नहीं किया जावेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(96)परि / कर / मु॰ / 2001 III   जयपुर दिनांक : 18 / 4 / 2002

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 कि उप–धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा सेन्ट–एन्जेला सोफीया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, घाटगेट के बाहर, जयपुर की महेन्द्रा जीप (बैठक क्षमता 10सीट) आर.जे.14–1पी. 1720 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया केवल इस स्कूल के अनाथ बच्चों की शिक्षा तथा समय–समय पर उन्हें आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य में किया जायेगा ।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.6(222)परि/कर/मु॰/97 जयपुर दिनांक : 08.05.2002

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा झालावाड़ व झालरापाटन के मध्य अनन्य रूप से मंजिली वाहनों के रूप में संचालित, ड्राईवर व कण्डक्टर सहित 30 तक की बैठक क्षमता वाले, यात्री वाहनों पर दिनांक 01.04.97 से 17.05.2001 की अवधि में संदेय विशेष पथ कर के 700 रूपये से अधिक राशि का इस शत्र पर परिहार करती है कि पूर्व में जमा कराया हुआ कर वापिस देय/समायोजित नहीं होगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.6(96)परि/कर/मुक्त/मु॰/97/पार्ट II जयपुर दिनांक : 04.09.2002

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 08.09.2002 से 19.09.2002 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ 6/229/परि/कर/एम्बुलेंस/97 जयपुर, दिनांकः– 20.12.2002

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खेलशंकर दुर्लभ जी आवेदना आश्रम के वाहन जिसका चैसिस नं. 357231 E X Z 711519 तथा इंजिन नं. 497 SPTC 30 E X Z 873384 है को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया कैन्सर से पीड़ित व्यक्तियों को बिना किसी शुल्क के चिकित्सा हेतु लाने ले जाने के लिए किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–एफ.6 / 229 / परि / कर / एम्बुलेंस / 97 जयपुर, दिनांकः– 13.02.2003

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा भगवान महावीर कैन्सर चिकित्सालय एवम् अनुसंधान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के ऑटो रिक्शा (बजाज) जिसका चैसिस नं. BAFBHL 17751 व इंजिन नं. BAMBHL 17733 है को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया केन्सर से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजन हेतु किया जायेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6(96)परि/कर/मु॰/ I/2002 जयपुर, दिनांकः 28.2.2003

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नीचे वर्णित 32 वाहनों को चल विद्यालय के संचालन हेतु उक्त अधिनियम के अनतर्गत देय कर से इस शर्त के साथ छूट प्रदान करती है कि ये वाहन राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन द्वारा पिछड़ी बस्तियों एवं घुमन्तु बालक–बालिकाओं के लिये चल विद्यालय के कार्य हेतु ही प्रयोग में लिये जावेगें तथा इन वाहनों का प्रयोग निगम यात्री वाहनों के रूप में नहीं करेगा :–

क्र.सं.	वाहन पंजीयन संख्या	आवंटित आगार का नाम	जिले का नाम
1.	आर.जे.14 पी 2448	जोधपुर	जोधपुर
2.	आर.जे.20 पी 1254	वैशाली नगर आगार	जयपुर
3.	आर.जे.02 पी 0366	दौसा	दौसा
4.	आर.जे. 28 पी 0082	गंगानगर	गंगानगर
5.	आर.जे.01 पी 0667	टोंक	सवाईमाधोपुर
6.	आर.जे. 02 पी 0346	मत्स्यनगर	अलवर
7.	आर.जे.14 पी 3197	टोंक	टोंक
8.	आर.जे.13 पी 1166	हनुमानगढ़	हनुमानगढ
9.	आर.जे.02 पी 0524	हिण्डोन	करौली
10.	आर.जे.14 पी 2138	कोटा	कोटा
11.	आर.जे.02 पी 0599	धौलपुर	धौलपुर
12.	आर.जे.14 पी 3685	झालावाड़	झालावाड़
13.	आर.जे 02 पी 0330	भरतपुर	भरतपुर
14	आर.जे 14 पी 0156	बून्दी	बून्दी
15	आर.जे.23 पी 0384	अजयमेरू	अजमेर
16	आर.जे.02 पी 0381	बारां	बारां
17	आर.जे.07 पी 0766	बीकानेर	बीकानेर
18	आर.जे.18 पी 0460	चूरू	चूरू
19	आर.जे. 24 पी 0432	सिरोही	सिरोही
20	आर.जे.01 पी 1084	झुन्झनू	झुन्झनू
21	आर.जे.14 पी 1751	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
22	आर.जे. 16 पी 0143	सीकर	सीकर

23.	आर.जे 19 पी 1888	नागौर	नागौर
24.	आर.जे.14 पी 2530	उदयपुर	उदयपुर
25.	आर.जे.24 पी 0379	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
26.	आर.जे. 19 पी 2482	फलौदी	जैसलमेर
27.	आर.जे.19 पी 1826	उदयपुर	राजसमन्द
28.	आर.जे. 19 पी 1534	डूंगरपुर	डूंगरपुर
29.	आर.जे.06 पी 0327	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
30.	आर.जे.14 पी 2318	बाड़मेर	बाड़मेर
31.	आर.जे.19 पी 2483	पाली	पाली
32.	आर.जे.16 पी 0136	जालौर	जालौर

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— एफ.6(96)परि / कर / मु. / III / 2001 जयपुर, दिनांकः—7.8.2003

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, दिनांक 1.4.2003 से मंजिली वाहनों (अनन्य रूप से नगरपालिका सीमा, नगर विकास न्यास में संचालित स्टैज कैरिज वाहनों को छोड़कर) को उक्त अधिनियम की धारा 4—बी के तहत अधिरोपित विशेष पथ कर के संदाय से एतद् द्वारा आंशिक रूप से छूट प्रदान करते हुये यह आदेश देती है कि उक्त श्रेणी के प्रत्येक मंजिली वाहन जिस पर वर्ष 2003—2004 में उक्त कर देय है, के कर की राशि उक्त वाहन / समकक्ष वाहन द्वारा वर्ष 2002—2003 में देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी परन्तु ऐसे मंजिली वाहन की, सेवा द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अपेक्षित दूरी के बढ़ने अथवा घटने पर ऐसे वाहन / समकक्ष वाहन द्वारा वर्ष 2002—2003 में समकक्ष दूरी के लिये चलने वाले वाहन द्वारा देय कर के बराबर कर देय होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(96)परि/कर/मु॰/2001 जयपुर दिनांक : 28.8.2003

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद् द्वारा स्टेशन कमाण्डिंग अधिकारी 41 विंग वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की यात्री वाहन आर.जे.19 पी 4191 (बैठक क्षमता 33 समस्त) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान को 1.4.2003 से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया, केवल वायुसेना स्टेशन पर कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिजनों को लाने व ले जाने के कार्य में ही किया जावेगा, तथा पूर्व में जमा कर एवं शास्ति का रिफण्ड नहीं किया जावेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—प.6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98/ जयपुर, दिनांक 27.3.2004

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान विधान सभा चुनाव 2003 में चुनाव कार्यो के लिये अधिग्रहित की गई नगरीय/नगर विकास न्यास सीमा में संचालित मंजिली यानों से भिन्न मंजिली गाड़ियों (स्टेज कैरिज) को उतने दिवस के लिये समानुपातिक आधार पर विशेष पथकर से मुक्त करती है जितने दिवस के लिये वे उक्त चुनावों में उपयोग में ली गयी है ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(229)परि/कर/एम्बुलेंस/97 जयपुर दिनांक :–24.5.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा भगवान महावीर कैन्सर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के ओमनी वैन (आठ सीटर) जिसका चैसिस नं. एस.टी 91– IN 610605 व इंजिन नं. एफ 8 बी–IN 2626836 है को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया केन्सर से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजन हेतु किया जायेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–एफ.6(96)परि / कर / मु॰ / III / 2001 जयपुर, दिनांकः–25.6.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं॰ 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा मानव धर्म ट्रस्ट बाड़मेर द्वारा क्रय किया गया ट्रेक्टर जिसका चैसिस नं॰ 246407 एवं ईंजन नं॰ बी. 33022 हैं को मय पानी के टैंकर के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का परिहार इस शर्त पर करती है कि इस ट्रैक्टर के साथ संयोजित पानी के टैंकर का प्रयोग निशुल्क लोकहित में पानी के वितरण आदि के काम में ही लिया जावेगा ।

राज्यपाल के आदेश से ,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—एफ.6(96)परि / कर / मु॰ / 2001 जयपुर, दिनांकः 31.07.2004

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं॰ 11) की धारा 3 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद् द्वारा स्टेशन कमाण्डर ऐयर फोर्स स्टेशन उत्तरलाई, बाड़मेर के यात्री वाहन जिसका चैसिस नं॰ CVZ—710993 एवं ईंजन नं॰ CVZ—870077 है को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त पर मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया केवल वायुसेना स्टेशन पर कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिजनों को लाने व ले जाने के कार्य में ही किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–प.6(96)/परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट ।। जयपुर दिनांक 7/8/04

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 17.8.2004 से 29.8.2004 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणाी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(96)परि/कर/मु॰/97/पार्ट।। जयपुर दिनांक : 23/8/04

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना एफ 6(96)परि/कर/मु॰/97/पार्ट।। दिनांक 7.8.2004 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना में :–

विद्यमान अभिव्यक्ति '' 17.8.2004'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''15.8.2004'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 6 (147)परि/कर/मु. दिनांक :– 24.12.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या–11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है दिनांक 6–11–98 से दिनांक 29–2–2000 की अवधि में चालक सहित 7 से 10 बैठक क्षमता वाले निजी सेवा वाहनों जिनका राज्य में पंजीयन ''पी'' सीरिज के स्थान पर ''सी'' सीरिज में किया गया है, पर संदेय मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर पर अधिरोपित शास्ति एँव ब्याज को जो संदाय हेतु शोध्य हो गया हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर छूट देती है :–

1. कि ऐसे वाहन का बकाया मोटर वाहन कर एवम् विशेष पथ कर कराधान अधिकारी द्वारा जारी मांग पत्र तामील होने की तिथि से 30 दिवस में अथवा दिनांक 31–3–2005 जो भी पहले हो तक वाहन स्वामी द्वारा जमा करवा दिया गया हो।
2. कि वाहन स्वामी मांग पत्र तामिल होने की तिथि से 30 दिवस में मांग पत्र में वर्णित राशि की किश्तें सक्षम अधिकारी से करवा सकेगा। इस प्रकार की गई किश्तों को जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31–3–2005 तक ही होगी तथा इस प्रकार की गई किश्तों पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।
3. कि अगर वाहन स्वामी निर्धारित तिथि तक अपरिहार्य कारणो से देय राशि अथवा किश्त की राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवा पाता है तो परिवहन आयुक्त ऐसे प्रकरण में युक्तियुक्त आधार पर कर जमा करवाने की अवधि, पुनः किश्त करने के निर्देश सक्षम अधिकारी को देने हेतु अधिकृत होंगे परन्तु बढ़ाई गई अवधि 31–3–2005 से अधिक नहीं होगी।
4. कि वाहन के पंजीयन के समय जमा मोटर वाहन कर/एक बारीय कर का समायोजन बकाया कर की राशि में किया जावेगा।
5. कि वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (33) के तहत निजी सेवा यान की श्रेणी में है तो वाहन का पंजीयन 'सी' सीरीज से 'एफ' सीरीज में किया जावेगा।
6. कि मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर मय शास्ति या ब्याज के यदि कोई हो, पूर्व में ही संदत्त कर दिया गया है तो प्रतिदत्त नहीं किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र.एफ 6(96)परि/कर/मु./उर्स/पार्ट फाईल/99 जयपुर,दिनांकः 24.12.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा दादाजी पाण्डूरंग शास्त्री आठवलेजी की अस्थी विसर्जन हेतु स्वाध्यायिओ द्वारा प्रयुक्त उन वाहनों का जिनका प्रयोग राजस्थान राज्य में दिनांक 29–12–2004 से 31–12–2004, 02–01–2005 से 10–01–2005 एवं 12–01–2005 से 17–01–2005 की अवधि में होगा का उक्त अधिनियम के तहत देय कर का परिहार इस शर्त पर करती है कि राज्य में यात्रा के दौरान प्रयुक्त प्रत्येक वाहन पर स्वाध्याय परिवार का बैनर आवश्यक रुप से लगा होगा एवं प्रत्येक वाहन में तत्वज्ञान विद्यापीठ की तरफ से उक्त यात्रा में भाग लेने का अधिकार पत्र भी रखना आवश्यक होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(138)परि/कर/मु॰/2003 जयपुर दिनांक : 14.02.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री परमात्मा चंद भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जोधपुर की बस (24 सीटर) जिसका चैसिस नं॰ 080741 तथा इंजन नं. 73294 है को उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया रोगियों के निःशुल्क परिवहन हेतु किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—प.6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98/ जयपुर, दिनांकः— 09.03.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा वर्ष 2004 एवं 2005 में सम्पन्न लोकसभा चुनाव, नगर पालिकाओं के आम चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव एवं विधानसभा के उप—चुनावों में चुनाव कार्यों के लिये अधिग्रहित की गई नगरीय/नगर विकास न्यास सीमा में संचालित मंजिली यानों से भिन्न मंजिली गाड़ियों (स्टेज कैरिज) को उतने दिवस के लिये समानुपातिक आधार पर विशेष पथकर से मुक्त करती है जितने दिवस के लिये वे उक्त चुनावों में उपयोग में ली गयी है।

राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6/229/परि/कर/एम्बुलेंस/97 जयपुर, दिनांक : 09.03.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा भगवान महावीर कैन्सर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर की मिनी बस (13 सीटर) संख्या RJ14- 1P-1933 को दिनांक 09.03.2005 से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि इस वाहन का उपयोग पूर्णतया राजस्थान राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(96)परि / कर / मु॰ / III / 2001 जयपुर दिनांक : 18.03.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं॰11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा राज्य के समस्त ड्राइविंग स्कूल के नाम पंजीकृत गैर परिवहन यान जिनका उपयोग परिवहन यान के रुप में मोटर यान चलाने में अनुदेश देने के लिये किया गया है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर जो 31.3.05 तक संदाय हेतु शोध्य हो गया हो, से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ.6(179)परि/कर/मु॰/2005 जयपुर, दिनांकः– 24.03.2005

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार यह राय रखते हुये कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, ऐसे सभी डबल डेकर वाहनों जिनका पंजीयन दिनांक 1.4.2005 से दिनांक 31.3.2006 की अवधि में किया गया हो तथा जिनका प्रयोग अनन्यतः राज्य के किसी भी नगर की नगरीय सीमा में संविदा वाहन अनुज्ञापत्र प्राप्त कर पर्यटकों को घुमाने के लिये किया जाता है, को राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत् देय मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर से वाहन की पंजीयन तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(179)परि/कर/मु॰/2005 जयपुर दिनांक : 24.03.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, ऐसी सभी नई वातानुकूलित संयंत्र और हीटर युक्त यात्री वाहनों, जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 30 से अधिक है, को राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 बी के तहत् देय विशेष पथकर की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का निम्न शर्तो पर परिहार करती है :–

1. वाहन का दिनांक 1.4.2005 से दिनांक 31.03.2006 की अवधि तक पंजीयन करवाया गया हो।
2. वाहन पर दिनांक 31.3.2006 तक पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लिया गया हो।
3. उक्त छूट पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिये होगी।
4. आवश्यकतानुसार वाहन का वातानुकूलित संयंत्र अथवा हीटर यात्रियों को ले जाते समय सही एवं चालू हालत में नही होने पर यह माना जावेगा कि वाहन स्वामी द्वारा वाहन का संचालन पर्यटक अनुज्ञापत्र की शर्तो के उल्लंधन में किया जा रहा है।
5. अगर किसी वाहन स्वामी द्वारा उक्त कर की सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार में जमा करा दी गई है तो छूट की राशि वापिस देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 6(179)परि/कर/मु॰ जयपुर दिनांक : 24.03.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वाहन निर्माता द्वारा मूल रुप से निर्मित ऐसे वाहनों, जिनमें ईधन के रुप में द्रव्य पेट्रोलियम गैस (LPG), दबावित प्राकृतिक गैस (CNG) अथवा सौर ऊर्जा (Solar Energy) का प्रयोग होता है, पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4–बी के अन्तर्गत देय विशेष पथकर की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का परिहार करती है।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(96)परि / कर / मु॰ / सा.संस्था / 2004 जयपुर, दिनांक : 04.05.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा प्रयास संस्थान की मारुती ओमनी (8 सीटर) जिसका चैसिस नम्बर ST-91-1N 683989 Engine No. F8 BIN 2878782 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया संस्थान के मंदबुद्धि बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों व उनके विकास हेतु काम में लिया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(जी॰एल॰गुप्ता)
शासन उप सचिव

क्रमांक : एफ.6(96)परि / कर / मु॰ / सा.संस्था / 2004 जयपुर, दिनांक : 04.05.2005

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 04.05.05 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(138)परि/कर/मु॰/2003 जयपुर दिनांक : 04.05.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नेत्र ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, ई–16, जमना नगर, सोड़ाला, जयपुर की वाहन Savari 2WD Hard top 12 Seater covered Body वाहन जिसका चैसिस नं॰ 42J39897 इंजन नं. AC44J64102 है को उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया रोगियों के निःशुल्क परिवहन हेतु किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

जी.एल.गुप्ता
उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ 6(138)परि/कर/मु॰/2003 जयपुर दिनांक : 04.05.2005

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 04.05.2005 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात)।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान सरकार।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
13. अध्यक्ष, डा॰ कमल सेहरा, नेत्र ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, ई–16, जमना नगर, सोड़ाला, जयपुर

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6 / 96 / परि / कर / मु॰ / 2001 जयपुर, दिनांक– 17.05.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिफ्यूलर वाहन, जिसका चैसिस नंबर 051914, ईजन नंबर 143420 व पंजीयन संख्या RJ-14, 2G-7146 है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2005 से देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया केवल जयपुर स्थित हवाई अड्डे की परिधि में हवाई जहाजों में ईधन भरने हेतु ही किया जावेगा ।

राज्यपाल के आज्ञा से,

(जी॰एल॰गुप्ता)
उप शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.6 / 96 / परि / कर / मु॰ / 2001 जयपुर, दिनांक– 17.05.2005

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 17.5.2005 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 6 (96) परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट II जयपुर, दिनांक 20.07.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 05.08.2005 से 18.08.2005 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांक :– प 6 (96) परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्टII जयपुर, दिनांक 20.07.2005

प्रतिलिपी :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.7.05 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6(123)परि / कर / मु॰ / 05 जयपुर, दिनांक :–28.07.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अक्षय पात्र फाउण्डेशन संस्थान के नाम पंजीकृत ऐसे समस्त वाहनों, जिनका उपयोग राज्य के राजकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोज (मिड–डे मील) वितरण कार्य के लिए लिया जा रहा है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से मुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

क्रमांक :– एफ.6(123)परि / कर / मु॰ / 05 जयपुर, दिनांक :– 28.07.2005
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 28.7.05 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :— एफ.6(229)परि / कर / मु॰ /   जयपुर, दिनांक :— 02.08.2005

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खेल शंकर दुलर्भजी आवेदना आश्रम की वाहन RJ-14 PA 0162 मोबाइल क्लीनिक, ब्लड डोनर्स वैन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से निम्न शर्तों के तहत छूट प्रदान करती हैः—

(1) संस्थान द्वारा उक्त वाहन पर संग्रहित रक्त जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, यदि वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित है तो उससे किसी भी प्रकार का Processing एवं Testing शुल्क नही लिया जावेगा।

(2) यदि वाहन द्वारा संग्रहित रक्त बिन्दु संख्या (1) में वर्णित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को दिया जा रहा हो तो उससे Processing एवं Testing शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क नही लिया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांक :— एफ.6 (229)परि / कर / मु॰ /   जयपुर, दिनांकः— 02.08.2005
प्रतिलिपी :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक,राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 02.08.2005 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा—II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—प.6(96) परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट II जयपुर, दिनांकः— 20.08.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार , इस विभाग की अधिसूचना सं. प.6(96) परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट II दिनांक 20.7.2005 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

विद्यमान अभिव्यक्ति ''05.08.2005'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''03.08.2005'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांकः—प.6(96) परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट II जयपुर, दिनांकः— 20.08.2005

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.08.2005 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा—II, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ 6 (96)परि/कर/मु./III/2001 जयपुर, दिनांक :–08.11.2005
09.11.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, दिनांक 01.04.2005 से मंजिली वाहनों (अनन्य रूप से नगरपालिका सीमा, नगर विकास न्यास में संचालित स्टेज कैरिज वाहनों को छोड़कर) को उक्त अधिनियम की धारा 4–बी के तहत् अधिरोपित विशेष पथ कर के संदाय से एतद् द्वारा आंशिक रूप से छूट प्रदान करते हुये यह आदेश देती है कि उक्त श्रेणी के प्रत्येक मंजिली वाहन जिस पर वर्ष 2005–2006 में उक्त कर देय है, के कर की राशि उक्त वाहन/समकक्ष वाहन द्वारा वर्ष 2004–2005 में देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी परन्तु ऐसे मंजिली वाहन की, सेवा द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अपेक्षित दूरी के बढ़ने अथवा घटने पर ऐसे वाहन/समकक्ष वाहन द्वारा वर्ष 2004–2005 मे समकक्ष दूरी के लिये चलने वाले वाहन द्वारा देय कर के बराबर कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हनुवंत सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 6 (96)परि/कर/मु./III/2001 जयपुर, दिनांक :–09.11.2005

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 09.11.2005 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II राजस्थान, जयपुर।
8. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
10. श्री संजय सिधंल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
11. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— एफ 6 (262) परि/कर/मु./2005 जयपुर, दिनांकः— 05.12.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6 (179) परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.03. 2005 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

विद्यमान अभिव्यक्ति "31.03.2006" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5.12.05" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(एस.आलम)
उप शासन सचिव

क्रमांकः— एफ 6 (262) परि/कर/मु./2005 जयपुर, दिनांकः— 05.12.2005

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 05.12.2005 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(262)परि/कर/मु०/2005 जयपुर, दिनांक : 3.1.2006

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, वातानुकूलित संयन्त्र और हीटर युक्त यात्री वाहनों को विशेष पथ कर में छूट देने से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं संख्या एफ 6 (262)परि/टैक्स/एच.क्यू/2001 दिनांक 20.02.2004 एवं संख्या एफ.6 (179) परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.03.2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल के आदेश से

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ.6(262)परि/कर/मु०/2005 जयपुर, दिनांक : 3.1.2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 3.1.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(138) परि/कर/मु॰/03 जयपुर, दिनांकः 16.02.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा श्री कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के वाहन संख्या RJ 23G 1393, को उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.06 से 31.03.09 तक की अवधि के देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग अनन्यतः भार वाहन के रुप में चिकित्सालय से संबंधित वस्तुओं के आवागमन हेतु ही किया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव

क्रमांक : एफ.6(138) परि/कर/मु॰/03 जयपुर, दिनांकः 16.02.2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16.02.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.6(96)/परि/कर/मुक्त/मु॰/97/पार्ट ।।   जयपुर दिनांकः 11/07/2006

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 24.07.2006 से 7.8.2006 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000 रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणाी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार यादव)
उप शासन सचिव

क्रमांकः–प.6(96)/परि/कर/मुक्त/मु॰/97/पार्ट ।।   जयपुर दिनांकः 11/07/2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 11.07.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(272) परि/कर/मु॰/2004 जयपुर, दिनांकः 31.01.2007

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा उप–नगरीय मार्गो पर संचालित मंजिली वाहनो पर अधिसूचना संख्या एफ.6(272) परि/कर/मु॰/2004/20ए, दिनांक 14.02.2005 के अन्तर्गत देय कर तथा अधिसूचना संख्या एफ.6(272) परि/कर/मु॰/2004/20बी, दिनांक 20.07.2006 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2007 की अवधि तक देय कर की अंतर राशि को इस शर्त के साथ परिहार करती है कि जिन वाहन स्वामियो ने अधिसूचना संख्या एफ.6(272) परि/कर/मु॰/2004/20बी, दिनांक 20.07.2006 के अन्तर्गत पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा दी है तो उनको उक्त जमा कर का प्रतिदाय देय नही होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(96)परि / कर / मु० / I 2002 जयपुर, दिनांकः 1.8.2007

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या–11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा श्री हरि सत्संग समिति के वाहन संख्या WB-19A-6122 (भार वाहन) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान को दिनांक 09.08.2005 से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग पूर्णतया वनवासी, पिछड़े एवं अशिक्षित क्षेत्र में निवास करने वाले समाज को शिक्षित एवं संस्कारित करने के लिए किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र. एफ 6 (96)परि/कर/मु./2001 जयपुर, दिनांक :– 20.09.2007

–अधिसूचना–

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखतें हुये कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा वाहन संख्या RJ-27P-4858 (बैठक क्षमता 50 समस्त) पर केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के तहत जारी विशेष अनुज्ञापत्र पर राजस्थान राज्य में दिनांक 21.09.2007 से 27.09.2007 तक की संचालन अवधि में देय कर का परिहार इस शर्त के साथ करती है की अनुबंधित वाहन का प्रयोग अनन्य रुप से भारतीय सेना द्वारा प्रायोजित सद्भावना यात्रा, जिसमें जम्मू–कश्मीर राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानो के विद्यार्थी, अध्यापक एवं सेना के सदस्य सम्मिलित होंगे, के लिए किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ.6(96)परि/कर/मु॰/06 जयपुर, दिनांकः– 23.10.2007

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वाहन का चैसिस संख्या 416244 ESZ 118881 Engine No. 497 TCB 7D SZ 846134 डबल डेकर वाहन को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के तहत देय विशेष पथ कर में पंजीयन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करती है कि उक्त वाहन का प्रयोग अनन्यतः जयपुर नगर की नगरीय सीमा में संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र प्राप्त कर पर्यटकों को घुमाने के लिए किया जावेगा ।

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(135)परि / कर / मु॰ / 04 जयपुर, दिनांक : 19.11.2007

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा श्री ब्रह्मचारी राम कुमार पन्नालाल गौशाला धमार्थ ट्रस्ट के वाहन संख्या RJ-19-GA-5789 एवं RJ-19-G-9248 को इनके पंजीयन की तिथी से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि इन वाहनों का प्रयोग पूर्णतया केवल पशुओं के चिकित्सकीय सेवा एवं गौशाला के कार्यो यथा चारा परिवहन इत्यादि के कार्य में ही किया जाएगा तथा पूर्व में यदि कोई कर अथवा शास्ति जमा करवाई गई हो तो वह राशि का रिफण्ड अथवा समायोजन नहीं किया जावेगा।

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव (मु॰)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(133)परि / कर / मु॰ / 04 जयपुर, दिनांक : 22.11.2007

अधिसूचना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा चूरु सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड, चूरु के वाहन संख्या RJI-2478 पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ छूट प्रदान करती है कि उक्त वाहन पर पंजीयन तिथि से दिनांक 29.05.1992 तक का देय समस्त कर मय शास्ति जमा किया जावेगा।

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(123)परि/कर/मु./05 जयपुर, दिनांक : 23.11.2007

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस्कान फूड रिलीफ फाउण्डेशन 84/230, संत नामदेव मार्ग, मानसरोवर के नाम पंजीकृत वाहन संख्या RJ-14-GA-1380, RJ-14-GA-8803, RJ-14-GB-1328 तथा महिन्द्रा मैक्स मैक्सी ट्रक (चैसिस सं. MAIRZ2GAA 71 H 40874 तथा इंजिन नं. GA 71H 25498) जिनका उपयोग अनन्य रुप से राज्य के राजकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोज (मिड–डे मील) वितरण कार्य के लिए किया जा रहा है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(138)परि/कर/मु॰/03 जयपुर, दिनांक : 01.01.2008

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुऐ राज्य सरकार एतद्द्वारा रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट, पी.जी.होस्टल के पास, पी.बी.एम. होस्पीटल कैम्पस (भोजनालय) बीकानेर की वाहन जिसका चैसिस नम्बर MA6AB6G767HE59290 एवम इंजन नम्बर 3EG59673 है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ मुक्त करती है कि इस वाहन का प्रयोग पूर्णतया उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनहित में किया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव
परिवहन विभाग

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(248)परि / कर / मु॰ / 2006 जयपुर, दिनांक 01.01.2008

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, ऐसी सभी वातानुकूलित केम्पर वेन एवं वातानुकूलित यात्री वाहनों जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक सहित 30 से अधिक है को राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4–बी के तहत देय विशेष पथकर की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का निम्न शर्तो पर परिहार करती है;

1. वाहन भारत सरकार के पर्यटक विभाग से मान्यता प्राप्त पर्यटक परिवहन प्रचालक (Tourist Transport Operator) के नाम राजस्थान राज्य में पंजीकृत हो एवं पर्यटक परिवहन प्रचालक इण्डियन एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स (Indian Association of Tour Operators) एवं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स (Rajasthan Association of Tour Operators) से मान्यता प्राप्त हो।
2. वाहन को जारी पर्यटक अनुज्ञापत्र मान्यता प्राप्त पर्यटक प्रचालक के नाम से राजस्थान राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

   स्पष्टीकरणः– ''केम्पर वेन'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है, जिसको मनोरंजक शिविर जीवन (recreational camping) या भ्रमण के उपयोग के लिए रहने के क्वार्टस प्रदान करने के लिए प्रारुपित या निर्मित किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम निम्न उपस्कर लगे होः–

   – कुर्सी एवं मेज
   – सोने का स्थान जिसे बैठने में परिवर्तित किया जा सके,
   – भोजन पकाने की सुविधा (Cooking Facilities),
   – भण्डारण सुविधा (Storage Facilities),

   यह उपस्कर व्यक्ति के रहने हेतु निर्धारित भाग में स्थाई रुप से लगे हों तथापि मेज को इस प्रकार प्रारुपित किया जा सकता है जिसे आसानी से हटाया जा सके।

यह अधिसूचना दिनांक 31.12.2010 तक प्रवृत रहेगी।

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव (मु॰)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(134)परि/कर/मु./08 जयपुर, दिनांक :-01.05.08

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा श्री गोपाल गोवर्धन गोशाला, पथमेडा, तहसील सांचोर, जिला जालौर के कामधेनु प्रचार कल्याण रथ (वाहन संख्या आर.जे.16 पी.ए. 1008) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि इस वाहन का प्रयोग अनन्य रूप से गायों के सेवार्थ एवं गो सेवा आयोग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किया जावेगा।

राजपाल के आदेश से

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव(मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(75)परि/कर/मु./08 जयपुर, दिनांक : 27.08.2009

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा 8 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मेला अवधि तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जैसलमेर जिला) आने/जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिए 3500/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(75)परि/कर/मु./08 जयपुर, दिनांक 27.08.2009

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.08.2009 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।

शासन उप सचिव

C:\Hans Sir\DC-3\Notification\Section 3 (Exemption).doc

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

जयपुर, अगस्त 27,1993

एस.ओ.96 :– राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) को धारा 88 की उप–धारा (12) के अधीन मंजूर किये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन राजस्थान राज्य में चलाने के लिय प्राधिकृत, अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले किन्ही भी सार्वजनिक वाहक माल यानों को उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित करे के संदाय से इसके द्वारा आंशिक रूप से छूट देती है और आदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धो के अधीन ऐसे प्रत्येक यान पर उसके रजिस्ट्रीकृत लदान सहित भार को विचार में लाये बिना प्रति वर्ष 5000/– रू. घटा हुआ कर प्रभारित किया जायेगा।

यह 1 सितम्बर, 1993 से प्रवृत्त होगी।

[संख्या एफ 10 (240)परि/पी.डी./91/पार्ट – III]

राज्यपाल के आदेश से,

डी के विजय,
उप शासन सचिव
।